IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बिहार के ग्रामीण परिवारों के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रवासन एवं प्रेषण राशि की भूमिका: सिवान जिला का अध्ययन

[1] नीतू कुमारी, [2] डॉ. अमित कुमार,

[1] शोध छात्रा, पी. जी. भूगोल विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

[2] सहायक प्राध्यापक, पी. जी. भूगोल विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

सारांश: यह अध्ययन प्रवासन की प्रकृति, कारणों, गंतव्य स्थलों, प्रेषण (Remittance) की आवृत्ति तथा उसके उपयोग का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि अधिकांश उत्तरदाता आंतरिक प्रवासी (90.7%) हैं तथा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों और एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। रोजगार (68.8%) एवं कृषि से कम आय (25.0%) प्रवासन के प्रमुख कारण पाए गए। दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता तथा सूरत प्रमुख गंतव्य स्थल हैं, जबकि विदेश प्रवासन मुख्यतः सऊदी अरब एवं दुबई की ओर केंद्रित है। अधिकांश प्रवासी नियमित रूप से अपने परिवारों को प्रेषण राशि भेजते हैं, जिसमें मासिक प्रेषण सर्वाधिक है। यह राशि मुख्यतः खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य, शिक्षा, उपयोगिता सेवाओं एवं आवास सुधार पर व्यय की जाती है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रवासन ग्रामीण परिवारों की आय, जीवन स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही, स्थानीय रोजगार सृजन, कृषि की लाभप्रदता तथा प्रेषण राशि के उत्पादक निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

कुंजी शब्द: प्रवास, प्रेषण राशि, आंतरिक प्रवासन, रोजगार एवं आजीविका, सामाजिक-आर्थिक विकास

1. भूमिका:

प्रवासन (Migration) मानव सभ्यता के विकास के साथ निरंतर जुड़ी एक महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकीय, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, विवाह अथवा बेहतर जीवन-स्तर की प्राप्ति के उद्देश्य से अपने स्थायी निवास स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाना प्रवासन कहलाता है। यह प्रक्रिया केवल जनसंख्या के स्थानिक पुनर्वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रम बाजार, आय वितरण, सामाजिक परिवर्तन तथा क्षेत्रीय विकास को भी प्रभावित करती है। विश्व स्तर पर प्रवासन के कारणों की व्याख्या सर्वप्रथम रैवेन्स्टीन (1885) ने अपने *Laws of Migration* में की, जबकि ली (1966) ने *Push-Pull Theory* के माध्यम से प्रवासन को प्रेरक (Push) एवं आकर्षक (Pull) कारकों से जोड़कर समझाया।

भारत में आंतरिक प्रवासन विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं ओडिशा जैसे राज्यों से रोजगार की खोज में अन्य राज्यों की ओर श्रमिकों का बड़े पैमाने पर प्रवासन होता है। बिहार में सीमित औद्योगिक विकास, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भूमि जोतों का विखंडन, बढ़ती बेरोजगारी तथा निम्न आय के कारण लाखों लोग प्रतिवर्ष दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक तथा केरल जैसे राज्यों की ओर प्रवास करते हैं। देशिंगकर एवं सहयोगियों (2006) ने बिहार के छह जिलों के अध्ययन में पाया कि प्रवासन ग्रामीण

परिवारों की आजीविका रणनीति का प्रमुख आधार बन चुका है तथा प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी जाने वाली रेमिटेंस ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

बिहार के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित सिवान जिला राज्य के सर्वाधिक प्रवासन प्रभावित जिलों में से एक है। यहाँ की लगभग सम्पूर्ण आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत है। किन्तु कृषि की मौसमी प्रकृति, सीमित गैर-कृषि रोजगार तथा बढ़ती श्रमशक्ति के कारण कार्यशील आयु वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अंतर्राज्यीय प्रवासन करता है। चोइथानी (2017) द्वारा सिवान जिले के 10 गाँवों में किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि उच्च गरीबी, सीमित रोजगार अवसर तथा अंतर्राज्यीय श्रम प्रवासन इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि प्रवासन ग्रामीण परिवारों की खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

सिवान जिले में प्रवासन का स्वरूप मुख्यतः ग्रामीण-से-शहरी तथा अंतर्राज्यीय है। अधिकांश प्रवासी निर्माण कार्य, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, होटल, सुरक्षा सेवाओं तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। हाल के वर्षों में शिक्षा एवं तकनीकी कौशल प्राप्त युवाओं का सेवा क्षेत्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ओर भी प्रवासन बढ़ा है। इसके अतिरिक्त कुछ परिवारों में खाड़ी देशों की ओर श्रम प्रवासन की परंपरा भी विकसित हुई है। केशरी एवं भगत (2013) ने भारत में अस्थायी एवं मौसमी श्रम प्रवासन के क्षेत्रीय प्रतिरूप का विश्लेषण करते हुए बताया कि बिहार में आर्थिक अवसरों की कमी तथा श्रम मांग वाले राज्यों का आकर्षण प्रवासन को बढ़ावा देता है।

प्रवासन के कारणों को समझने के लिए प्रेरक एवं आकर्षक कारकों का विश्लेषण आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी, कृषि संकट, कम मजदूरी, भूमि का विखंडन तथा औद्योगिक विकास का अभाव प्रमुख प्रेरक कारक हैं, जबकि उच्च मजदूरी, नियमित रोजगार, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ, सामाजिक नेटवर्क तथा शहरी जीवन की संभावनाएँ प्रमुख आकर्षक कारक हैं। श्रीवास्तव (2016) ने भारत में आंतरिक प्रवासन को क्षेत्रीय असमानताओं तथा श्रम बाजार की संरचना से जोड़ते हुए बताया कि आर्थिक विकास में असंतुलन प्रवासन का प्रमुख निर्धारक है।

प्रवासन का प्रभाव बहुआयामी है। एक ओर रेमिटेंस से परिवारों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा उपभोग स्तर में सुधार होता है, वहीं दूसरी ओर कृषि श्रम की कमी, महिलाओं पर कार्यभार में वृद्धि तथा सामाजिक संरचना में परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं। दत्ता (2016) ने ग्रामीण बिहार में किए गए अध्ययन में पाया कि प्रवासन से प्राप्त आय ग्रामीण परिवारों के आय स्रोतों में विविधता लाती है तथा गरीबी न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसी प्रकार अली एवं भगत (2016) ने उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवासन और रेमिटेंस के प्रभावों का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि रेमिटेंस गरीबी कम करने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक है।

पूर्वी भारत के संदर्भ में सिंह एवं सहयोगियों (2015) ने श्रम प्रवासन का कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन करते हुए बताया कि प्रवासन से कृषि श्रम की उपलब्धता प्रभावित होती है, किन्तु रेमिटेंस कृषि निवेश एवं घरेलू आय में वृद्धि का माध्यम भी बनती है।

हाल के अध्ययन में वैश्वीकरण में अनुसंधान (2024) ने बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उच्च प्रवासन क्षेत्रों में यह पाया कि प्रवासी परिवारों द्वारा भेजी गई रेमिटेंस का उपयोग कृषि निवेश, शिक्षा, आवास एवं सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर करता है तथा इसका स्वरूप परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुसार भिन्न होता है।

उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट है कि बिहार में प्रवासन केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आजीविका रणनीति का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। तथापि सिवान जिले के स्तर पर प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं। इसलिए वर्तमान शोध का उद्देश्य सिवान जिले में प्रवासन के प्रमुख कारणों, प्रवासन

के प्रतिरूप, प्रवासियों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं तथा प्रवासन के स्थानीय विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर प्रवासन की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रस्तुत करेगा तथा रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास से संबंधित नीतियों के निर्माण में उपयोगी आधार प्रदान करता है ।

2.**अध्ययन के उद्देश्य**:

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सिवान जिला, बिहार में प्रवासन के प्रतिरूप, उसके प्रमुख कारणों तथा प्रवासी परिवारों द्वारा प्राप्त प्रेषण राशि के उपयोग का विश्लेषण करना है। इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं—

- सिवान जिला, बिहार में प्रवासन के प्रतिरूप, प्रवासन के प्रमुख कारणों तथा प्रवासियों के गंतव्य स्थलों का विश्लेषण करना।
- प्रवासी परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि तथा प्रवासन के स्वरूप के मध्य संबंध का अध्ययन करना।
- प्रेषण राशि (Remittance) की आवृत्ति, उसके उपयोग तथा ग्रामीण परिवारों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना।

3.**परिकल्पनाएँ:**

अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्धारित की गई हैं—

H_1: अध्ययन क्षेत्र में रोजगार एवं कृषि से कम आय प्रवासन के प्रमुख निर्धारक कारक हैं तथा अधिकांश प्रवासन आंतरिक एवं अंतर्राज्यीय स्वरूप का है।

H_2: उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताएँ, जैसे शिक्षा, धर्म, जाति, आयु, परिवार का प्रकार तथा आर्थिक स्थिति, प्रवासन के स्वरूप एवं गंतव्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

H_3: प्रेषण राशि का नियमित प्राप्त होना ग्रामीण परिवारों की खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार लाता है।

4.आँकड़ों के स्रोत और अनुसंधान पद्धति:

प्रस्तुत अध्ययन पूर्णतः प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन बिहार राज्य के सिवान जिले के चयनित प्रवासी परिवारों से प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण (Field Survey) के माध्यम से किया गया। अध्ययन हेतु कुल 300 प्रवासी परिवारों का चयन किया गया। उत्तरदाताओं से संरचित प्रश्नावली (Structured Questionnaire) एवं साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule) के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय विशेषताओं, प्रवासन के कारणों, प्रवासन के प्रकार, गंतव्य स्थान, प्रवासन की अवधि, प्रेषण राशि की आवृत्ति तथा उसके उपयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित की गई। संकलित प्राथमिक आँकड़ों का उपयोग अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति एवं निष्कर्षों के निर्माण के लिए किया गया।

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) अनुसंधान अभिकल्प पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में बिहार के सिवान जिले का चयन किया गया। उत्तरदाताओं के चयन हेतु यादृच्छिक सेम्पलिंग (Random Sampling) पद्धति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत कुल 300 प्रवासी परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन संरचित प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची तथा प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से किया गया। संकलित आँकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण एवं विश्लेषण MS Excel तथा SPSS सॉफ्टवेयर की सहायता से

किया गया। अध्ययन में प्रवासन के प्रतिरूप, कारण, गंतव्य, प्रेषण की आवृत्ति एवं प्रेषण राशि के उपयोग का विश्लेषण करने के लिए आवृत्ति वितरण (Frequency Distribution), प्रति शत (Percentage), क्रॉस-टैबुलेशन (Cross-tabulation) जैसी उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया। प्राप्त परिणामों की व्याख्या सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में की गई तथा उनके आधार पर नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए गए।

5.शोध परिणाम एवं चर्चा:

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में आंतरिक प्रवासन का प्रभुत्व है। कुल प्रवासियों में 90.7% लोगों ने भारत के भीतर ही स्थान परिवर्तन किया, जबकि केवल 9.3% लोगों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन किया। इससे पता चलता है कि रोजगार, शिक्षा तथा बेहतर जीवन-यापन के अवसर मुख्यतः देश के भीतर ही लोगों को आकर्षित करते हैं।

तालिका 1: प्रवास के प्रकार के आधार पर प्रवासियों का प्रतिशत (%).

प्रवास का प्रकार	**प्रवासियों का प्रतिशत (%)**
आंतरिक प्रवासन	90.7
अंतरराष्ट्रीय प्रवासन	9.3
अंतःराज्यीय प्रवासन	1.0
अंतर्राज्यीय प्रवासन	89.7
अंतरराष्ट्रीय प्रवासन	9.3
ग्रामीण–शहरी प्रवासन	90.7
अंतरराष्ट्रीय प्रवासन	9.3
कुल	**100**

आंतरिक प्रवासन में 89.7% प्रवासियों ने अंतर्राज्यीय प्रवासन किया, जबकि केवल 1.0% लोगों ने राज्य के भीतर स्थान परिवर्तन किया। यह दर्शाता है कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लोग रोजगार एवं आजीविका की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर जाते हैं।

तालिका यह भी दर्शाती है कि 90.7% प्रवासी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शहरों में उपलब्ध रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाएँ ग्रामीण आबादी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके विपरीत, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का हिस्सा केवल 9.3% है, जो अपेक्षाकृत कम है।

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश प्रवासी दिल्ली (29.1%) को अपना प्रमुख गंतव्य बनाते हैं। इसका मुख्य कारण रोजगार, व्यापार तथा बेहतर जीवन-यापन की सुविधाएँ हैं। महाराष्ट्र (11.5%) दूसरा प्रमुख गंतव्य है, जहाँ मुंबई (7.5%) और पुणे (4.0%) जैसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक शहर प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। कोलकाता (8.4%), सूरत (6.3%), जम्मू (4.2%), लखनऊ (3.2%), बेंगलुरु (3.2%) तथा हैदराबाद (3.1%) भी प्रवासियों के महत्वपूर्ण गंतव्य हैं। यह दर्शाता है कि बड़े शहर रोजगार और आजीविका के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन में सऊदी अरब (5.2%) सबसे प्रमुख गंतव्य है, जबकि दुबई (2.1%) और श्रीलंका (1.0%) की ओर अपेक्षाकृत कम प्रवासन हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि विदेश जाने वाले अधिकांश प्रवासी खाड़ी देशों को प्राथमिकता देते हैं।

तालिका 2रू गंतव्य स्थान के अनुसार प्रवासियों का प्रतिशत

गंतव्य स्थान	**प्रवासियों का प्रतिशत (%)**	**गंतव्य स्थान**	**प्रवासियों का प्रतिशत (%)**

दिल्ली	29ण1	**हरियाणा**	2ण0
कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	8ण4	फरीदाबाद	1ण0
बेंगलुरु (कर्नाटक)	3ण2	गुरुग्राम	1ण0
चेन्नई (तमिलनाडु)	2ण1	**आंध्र प्रदेश**	
महाराष्ट्र	11ण5	हैदराबाद (तेलंगाना)	3ण1
मुंबई	7ण5	केरल	
पुणे	4ण0	कोच्चि	1ण0
उत्तर प्रदेश	5ण2	**मध्य प्रदेश**	
लखनऊ	3ण2	जबलपुर	1ण0
नोएडा	2ण0	**ओडिशा**	
जम्मू एवं कश्मीर	6ण3	भुवनेश्वर	1ण0
जम्मू	4ण2	**बिहार**	
कटरा	2ण1	पटना	1ण0
राजस्थान	3ण2	**छत्तीसगढ़**	
जोधपुर	1ण0	रायपुर	1ण0
जयपुर	2ण2	**असम**	
पंजाब	4ण1	गुवाहाटी	1ण0
पानीपत (हरियाणा)	1ण0	**अंतरराष्ट्रीय**	
अमृतसर (पंजाब)	3ण1	सऊदी अरब	5ण2
गुजरात		दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)	2ण1
सूरत	6ण3	श्रीलंका	1ण0
गोवा	1ण0		
कुल सैंपल	300		

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय विशेषताओं के अनुसार प्रवासन के स्वरूप में उल्लेखनीय भिन्नताएँ विद्यमान हैं। धर्म के आधार पर अधिकांश हिन्दू (94.9%) आंतरिक प्रवासी हैं, जबकि मुस्लिमों (22.3%) में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। जाति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के सभी उत्तरदाता आंतरिक प्रवासी हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (17.5%) में विदेश प्रवासन अपेक्षाकृत अधिक है।

तालिका 3: पृष्ठभूमि संबंधी विशेषताओं के अनुसार आंतरिक एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत वितरण

पृष्ठभूमि संबंधी विशेषताएँ	आंतरिक प्रवासन	अंतरराष्ट्रीय प्रवासन
धर्म		
हिन्दू	94.9	5.1
मुस्लिम	77.7	22.3
जाति		
अनुसूचित जाति (SC)	100.0	0.0
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	82.5	17.5
अन्य	100.0	0.0
गरीबी की स्थिति		
गरीब	97.4	2.6
गैर-गरीब	84.5	14.5
शैक्षिक स्तर		
अशिक्षित	100.0	0.0
प्राथमिक	100.0	0.0

मध्य (मिडिल) स्तर	88.7	11.3
उच्च विद्यालय (हाई स्कूल)	80.2	19.8
उच्च शिक्षा एवं उससे अधिक	95.0	5.0
परिवार का प्रकार		
एकल (न्यूक्लियर) परिवार	95.6	4.4
संयुक्त परिवार	87.8	12.2
प्रवासी का आयु वर्ग		
25 वर्ष से कम	83.1	16.9
25–29 वर्ष	83.2	16.8
30–34 वर्ष	94.3	5.7
35–39 वर्ष	96.0	4.0
40 वर्ष एवं उससे अधिक	98.0	2.0
प्रवास की अवधि		
एक वर्ष से कम	100.0	0.0
1–2 वर्ष	98.3	1.7
2 वर्ष से अधिक	34.0	66.0
कुल सैंपल	**300**	

आर्थिक स्थिति से ज्ञात होता है कि गरीब परिवारों में आंतरिक प्रवासन (97.4%) प्रमुख है, जबकि गैर-गरीब परिवारों में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन (14.5%) का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। शिक्षा के आधार पर अशिक्षित एवं प्राथमिक शिक्षित सभी उत्तरदाता आंतरिक प्रवासी हैं, जबकि हाई स्कूल शिक्षितों (19.8%) में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया।

परिवार के प्रकार के अनुसार संयुक्त परिवारों (12.2%) में विदेश प्रवासन, एकल परिवारों (4.4%) की तुलना में अधिक है। आयु वर्ग के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 25–29 वर्ष एवं 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन की प्रवृत्ति अधिक है, जबकि बढ़ती आयु के साथ इसमें कमी आती है। इसी प्रकार, दो वर्ष से अधिक अवधि से प्रवास करने वाले उत्तरदाताओं में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन (66.0%) का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया।

चित्र 1: प्रवासन के प्रमुख कारणों के अनुसार प्रवासियों का प्रतिशत वितरण

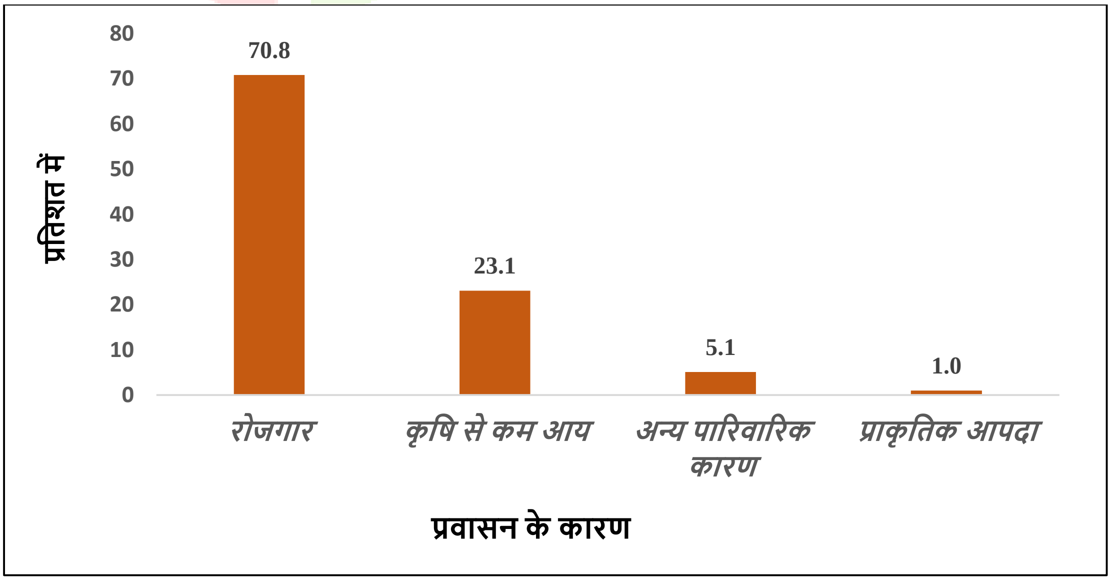

चित्र 1 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में प्रवास का सबसे प्रमुख कारण रोजगार है। कुल 70.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बेहतर रोजगार एवं आय के अवसरों की तलाश को प्रवासन का मुख्य कारण बताया। इससे स्पष्ट होता है कि

स्थानीय स्तर पर रोजगार के सीमित अवसर लोगों को अन्य राज्यों एवं शहरों की ओर प्रवास करने के लिए प्रेरित करते हैं।

दूसरा प्रमुख कारण कृषि से कम आय (23.1 प्रतिशत) है। यह दर्शाता है कि कृषि से पर्याप्त आय प्राप्त न होने के कारण अनेक परिवार अपनी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रवासन का विकल्प अपनाते हैं।

इसके अतिरिक्त, 5.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अन्य पारिवारिक कारणों, जैसे पारिवारिक दायित्व, विवाह अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहने को प्रवासन का कारण बताया। वहीं, केवल 1.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राकृतिक आपदाओं को प्रवासन का कारण माना, जिससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएँ प्रवासन का प्रमुख प्रेरक कारक नहीं हैं।

तालिका 4: प्रेषण राशि प्राप्त होने की आवृत्ति के अनुसार प्रवासियों का प्रतिशत

प्रेषण राशि प्राप्त होने की आवृत्ति	**प्रवासियों का प्रतिशत (%)**
कोई प्रेषण नहीं	4.2
मासिक	38.5
द्विमासिक	30.2
त्रैमासिक	5.2
अर्धवार्षिक	5.2
अनियमित	16.7
कुल	100

तालिका 4 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश प्रवासी अपने परिवारों को नियमित रूप से प्रेषण राशि भेजते हैं, जिससे परिवारों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मासिक प्रेषण (38.5%) सर्वाधिक है, जो दर्शाता है कि अधिकांश प्रवासी नियमित आय अर्जित कर परिवार के भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद द्विमासिक प्रेषण (30.2%) का स्थान है, जो यह संकेत देता है कि एक बड़ा वर्ग निश्चित अंतराल पर धन भेजता है। वहीं, 16.7 प्रतिशत प्रवासी अनियमित रूप से धन भेजते हैं, जिससे उनकी आय एवं रोजगार की अस्थिरता का संकेत मिलता है। त्रैमासिक (5.2%) एवं अर्धवार्षिक (5.2%) प्रेषण करने वाले प्रवासियों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, जबकि केवल 4.2 प्रतिशत प्रवासी अपने परिवारों को कोई प्रेषण राशि नहीं भेजते।

प्रस्तुत तालिका प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने परिवारों को भेजी गई प्रेषण राशि के उपयोग के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रवासी परिवार मुख्यतः अपनी दैनिक आवश्यकताओं, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रेषण राशि का उपयोग करते हैं। यह दर्शाता है कि प्रवासन से प्राप्त आय परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

तालिका 5: बहु-प्रतिक्रिया के आधार पर विभिन्न गतिविधियों में प्रेषण राशि का उपयोग

प्रेषण राशि का उपयोग	प्रवासियों का प्रतिशत (%)
घरेलू खाद्य सामग्री पर व्यय	100.0
घरेलू टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद	40.9
घरेलू उपभोग की अन्य वस्तुओं पर व्यय	38.7
परिवार के सदस्यों की शिक्षा पर व्यय	82.8
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यय	96.8
बिजली, पानी, गैस एवं अन्य उपयोगिता बिलों का भुगतान	89.1
बैंक में जमा (बचत)	9.6
स्कूटर/कार की खरीद पर व्यय	6.2
विवाह एवं दहेज संबंधी व्यय	6.2
ऋण चुकाने हेतु व्यय	22.4
कृषि भूमि की खरीद पर व्यय	7.4
नए मकान के निर्माण/खरीद अथवा मकान के मरम्मत एवं नवीनीकरण पर व्यय	50.5
कृषि कार्यों, बीज एवं उर्वरकों पर व्यय	9.6
कुल सैंपल	**300**

तालिका 5 के अनुसार, 100.0 प्रतिशत परिवार प्रेषण राशि का उपयोग घरेलू खाद्य सामग्री की खरीद के लिए करते हैं। यह सबसे अधिक प्रतिशत है, जो बताता है कि परिवारों की पहली प्राथमिकता भोजन एवं दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रवास से प्राप्त आय परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

इसके अतिरिक्त, 96.8 प्रतिशत परिवार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए तथा 89.1 प्रतिशत परिवार बिजली, पानी, गैस तथा अन्य उपयोगिता बिलों के भुगतान के लिए प्रेषण राशि का उपयोग करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रवासी आय परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण तथा नियमित घरेलू व्यय को पूरा करने का प्रमुख साधन है।

तालिका यह भी दर्शाती है कि 82.8 प्रतिशत परिवार अपने सदस्यों की शिक्षा पर प्रेषण राशि खर्च करते हैं। इससे संकेत मिलता है कि प्रवासी परिवार अपने बच्चों एवं अन्य सदस्यों की शिक्षा को महत्व देते हैं तथा बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा में निवेश कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक प्रगति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग 50.5 प्रतिशत परिवार प्रेषण राशि का उपयोग नए घर के निर्माण, घर खरीदने अथवा पुराने घर के नवीनीकरण में करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रवासी अपनी आय का एक महत्वपूर्ण भाग स्थायी संपत्ति के निर्माण तथा जीवन स्तर में सुधार पर भी व्यय करते हैं। वहीं 40.9 प्रतिशत परिवार घरेलू टिकाऊ वस्तुओं (जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि) तथा 38.7 प्रतिशत परिवार अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करते हैं। इससे परिवारों की उपभोग क्षमता और आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत मिलता है।

दूसरी ओर, केवल 22.4 प्रतिशत परिवार ऋण चुकाने के लिए प्रेषण राशि का उपयोग करते हैं। जबकि 9.6 प्रतिशत परिवार इस राशि को बैंक में जमा करते हैं तथा समान प्रतिशत (9.6 प्रतिशत) कृषि संबंधी खर्चों, जैसे बीज एवं उर्वरक की खरीद, पर व्यय करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बचत एवं कृषि निवेश की तुलना में तत्काल उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार, 7.4 प्रतिशत परिवार कृषि भूमि खरीदने, जबकि केवल 6.2 प्रतिशत परिवार स्कूटर/कार खरीदने तथा दहेज या विवाह संबंधी खर्चों के लिए प्रेषण राशि का उपयोग करते हैं। इन मदों पर अपेक्षाकृत कम व्यय यह दर्शाता है कि अधिकांश परिवार पहले अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के बाद ही संपत्ति अथवा अन्य विशेष उद्देश्यों पर खर्च करते हैं।

6.निष्कर्ष एवं नीतिगत सुझाव :

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सिवान जिला, बिहार में प्रवासन मुख्यतः रोजगार, कृषि से कम आय तथा बेहतर आजीविका की खोज से प्रेरित है। अधिकांश प्रवासी आंतरिक एवं अंतर्राज्यीय प्रवासन करते हैं तथा दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता और सूरत जैसे महानगर प्रमुख गंतव्य हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रवासन मुख्यतः खाड़ी देशों की ओर केंद्रित है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि धर्म, शिक्षा, आयु, आर्थिक स्थिति एवं परिवार का प्रकार प्रवासन की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। अधिकांश प्रवासी नियमित रूप से प्रेषण राशि भेजते हैं, जिसका उपयोग मुख्यतः भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपयोगिता सेवाओं एवं आवास सुधार पर किया जाता है। इससे परिवारों की आर्थिक सुरक्षा एवं जीवन स्तर में सुधार होता है, जबकि बचत एवं उत्पादक निवेश अपेक्षाकृत कम है। अतः स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, कृषि की लाभप्रदता में वृद्धि, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रेषण राशि के उत्पादक निवेश को प्रोत्साहित करने वाली समावेशी नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए, जिससे ग्रामीण परिवारों का सतत सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

संदर्भ (References)

1. **अली, जे., एवं भगत, आर. बी.** (2016). *उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवासन, प्रेषण राशि (रेमिटेंस) तथा परिवारों का कल्याण।* इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज़ (IIPS), मुंबई।
2. **कुमार, ए., चटर्जी, एस., एवं सिंह, आर.** (2024). *भारत के उच्च बाह्य-प्रवासन वाले क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में प्रेषण राशि (रेमिटेंस) के उपयोग पर सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय एवं प्रवासन संबंधी कारकों का प्रभाव।* **रिसर्च इन ग्लोबलाइजेशन** (Research in Globalization), 9, 100235.
3. **भगत, आर. बी.** (2017). *भारत में प्रवासन एवं नगरीय संक्रमण: विकास के निहितार्थ।* इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज़ (IIPS), मुंबई।
4. **चोइथानी, सी.** (2017). *ग्रामीण बिहार में प्रवासन एवं खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंधों की समझ। जियोफोरम (Geoforum), 90*, 1–11।
5. **देशिंगकर, पी., कुमार, एस., चौबे, एच. के., एवं कुमार, डी.** (2006). *बिहार में आजीविका संवर्धन में प्रवासन एवं प्रेषण राशि की भूमिका।* ओवरसीज़ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (ODI), लंदन।
6. **ली, ई. एस.** (1966). *प्रवासन का सिद्धांत। डेमोग्राफी (Demography), 3*(1), 47–57.
7. **रेवेन्स्टीन, ई. जी.** (1885). *प्रवासन के नियम। जर्नल ऑफ द स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, 48*(2), 167–235.
8. **सिंह, आर., कुमार, ए., एवं शर्मा, पी.** (2015). *पूर्वी भारत में श्रम प्रवासन तथा कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 70*(3), 325–338.
9. **श्रीवास्तव, आर.** (2011). *भारत में श्रम प्रवासन: हाल के रुझान, प्रतिरूप एवं नीतिगत मुद्दे। द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 54*(3), 411–440.

10. **श्रीवास्तव, आर. (**2016). *भारत में आंतरिक प्रवासन: विकास एवं नगरीकरण नीतियों के साथ एकीकरण।* यूनेस्को–यूनिसेफ चर्चा पत्र (UNESCO–UNICEF Discussion Paper) I